कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।
संख्या– 2751 / नि.–5 / एक(73) / भ्रूण प्रत्यारोपण / 2026–27 दिनांक 25 अगस्त, 2026

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषयः– गाय / भैंस की आनुवंशिकी संवर्धन योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–903 / XV–1 / 2026 / e–105015 दिनांक 20 अगस्त, 2026 द्वारा गाय / भैंस की आनुवंशिकी का संवर्धन योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹ 50.00 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है, उक्त धनराशि को मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून के माध्यम से उपयोग करने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट किया जाता हैः–

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष स्तर से सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार / आवश्यकतानुसार मासिक रूप से उपयोग / आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रतयेक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. प्रशासनिक / बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।
6. स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर आहरण वितरण अधिकारी / मु.अ.अ., यू. एल.डी.बी., पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
7. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2027 तक उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराया जाय।
8. उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त नियमों / प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
9. उक्त योजना प्रथमतः तीन वर्षों के लिए संचालित की जायेगी। तीन वर्ष के पश्चात यदि उक्त योजना के आगे संचालित किया जाना हो तो विभाग द्वारा विस्तृत मूल्यांकन, आउटपुर / आउटकम विवरण के साथ योजना के संचालन हेतु वित्त विभाग की सहमति / परामर्श प्राप्त किया जायेगा।
10. भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common minimum standard for production and transfer of Bovine embryos के अनुपालन का मूल्यांकन किसी तृतीयस पक्ष विशेषज्ञ संस्था से कराया जायेगा।
11. शासनादेश संख्या–912 / XV–1 / 2026 / 98976 दिनांक 01 जुलाई, 2026 में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उपकरण/सामग्री जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 से आच्छादित है, का क्रय : आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राक्धानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इतर उपकरण/सामग्री का क्रय, आपूर्ति किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-28 अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न-एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते-निदेशक।

संख्या- 2751/नि.-6/एक(73)/भ्रूण प्रत्यारोपण/2026-27 दिनांकित-

1. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी,देहरादून।
2. लेखा/पशुधन/संख्या अनुभाग, मुख्यालय।
3. उप निदेशक, एम्आईएस को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय ।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी-नैनीताल/पौड़ी।
7. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग-1, सचिवालय-देहरादून।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Vidushi
25/08/2026

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते-निदेशक।